

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना
॥ आवश्यक सूचना ॥
(विज्ञापन संख्या 01/2026)

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के विज्ञापन संख्या 01/2026 [PR. No. 003875 (B&C) 2026 -27] के द्वारा समिति अंतर्गत राज्य स्तरीय (12) एवं जिला स्तरीय (08) कुल 20 संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु दिनांक-19 जुलाई 2026 को ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का Computer Based Test (CBT) में प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों में से कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधाक्रम में 1:05 (एकल पद हेतु) अथवा अभ्यर्थियों की उपलब्धता की संख्या के अनुसार एवं 1:2.5 (एक से अधिक पद हेतु) अथवा अभ्यर्थियों की उपलब्धता की संख्या के अनुसार के अनुपात में अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र का सत्यापन दिनांक 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026 एवं 23.09.2026 तक आयोजित की गयी है। उक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के फलाफल को समिति के वेबसाईट <https://bsacs.bihar.gov.in/> पर प्रकाशित किया गया है :-

1. वैसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित थे।
2. वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण-पत्र सत्यापन में अयोग्य (Disqualified) घोषित किया गया है।
3. वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदित कोटि के अनुरूप वांछित वैध (Valid) दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है।

उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों से Remarks में अंकित कारणों के विरुद्ध निम्न कार्यक्रम के अनुसार विहित प्रपत्र में दावा / आपत्ति (Claim/Objection) आमंत्रित किये जाते हैं :-

तिथि एवं समय	प्रकाशित सूची के अनुरूप दावा/आपत्ति आमंत्रण का विवरण	कार्यक्रम स्थल
01.10.2026 (प्रातः 10:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक)	1. वैसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित थे। 2. वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण-पत्र सत्यापन में अयोग्य (Disqualified) घोषित किया गया है। 3. वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदित कोटि के अनुरूप वांछित वैध (Valid) दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है।	बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना, कार्यालय के सभागार में, छठा तल, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 14

अतः प्रकाशित सूची में वर्णित अभ्यर्थी को Remarks के विरुद्ध संलग्न दिशा-निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए स्वयं बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना कार्यालय छठा तल, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800014 में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र (संलग्न) में अपना दावा/आपत्ति दर्ज करना अनिवार्य होगा।

परियोजना निदेशक
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार

दावा/आपत्ति दर्ज करने संबंधी विहित प्रपत्र

क्र. सं.	विषय	विवरण (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)
01.	विज्ञापन संख्या	
02.	पदनाम	
03.	आवेदन का निबंधन संख्या	
04.	रौल नम्बर (Admit Card की प्रति संलग्न करें)	
05.	अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
06.	पिता का नाम	
07.	फोटोयुक्त पहचान-पत्र (संलग्न करें)	
08.	प्रकाशित सूची में दावा/आपत्ति का कारण	
09.	दावा/आपत्ति का विवरण	
10.	साक्ष्य (यदि हो, तो संलग्न करें)	

नोट:- किसी भी प्रकार की सूचना, त्रुटि/गलत /असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

दावा/आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा-निर्देश

1. संबंधित अभ्यर्थियों की दावा/आपत्ति केवल उक्त विहित प्रपत्र में ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन/ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आपत्ति की मूलप्रति (Hard Copy) निर्धारित तिथि 01.10.2026 (प्रातः 10:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक) को बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना कार्यालय 6th Floor स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना-14 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक विहित प्रपत्र में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. दावा/आपत्ति का कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय या साक्ष्य रहित दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति (साक्ष्य सहित) के आधार पर प्रमाण-पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराये गये कागजात/दस्तावेज आदि की जाँच की जाएगी।
5. प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से अयोग्य (Disqualify) घोषित किये गये अभ्यर्थी के द्वारा Certificate की स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश पत्र की पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ D.V टीम के समक्ष जाँच हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में अंकित किये गये आरक्षित कोटि का प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाने/उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उन्हें आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है, से संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा दावा किये गये कोटि से संबंधित प्रमाण-पत्र (यथा-जाति प्रमाण-पत्र एवं क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र/आवासीय प्रमाण-पत्र, जो भी लागू हो) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश पत्र की पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ कमिटी के समक्ष जाँच हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा।
7. ऑनलाईन आवेदन में अंकित किये गये अनुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप सही नहीं पाये जाने/उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा दावा किये गये अनुभव प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश पत्र की पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करते हुए मूल प्रति के साथ कमिटी के समक्ष जाँच हेतु स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।

परियोजना निदेशक
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार